1 माह का अतिरिक्त वेतन या अधिकतम 50 हजार रुपये कुंभ के कर्मिकों को देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आयोजन को सफल बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सौगात दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 29 जनवरी 2020

हेमंत कैबिनेट का विस्तार, सात मंत्रियों ने ली शपथ

राज्य ब्यूरो, रांची

- चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, जगरनाथ महतो, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख व मिथिलेश ठाकुर बने मंत्री
- झामुमो कोटे से पांच तथा कांग्रेस से दो और विधायक बने मंत्री
- राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ
- तीन विधायक पहली बार बने मंत्री, जोबा एकमात्र महिला मंत्री

झारखंड में सरकार के गठन के एक माह बाद मंगलवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो गया। हेमंत कैबिनेट के पहले विस्तार में सात मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शाम चार बजे राजभवन के खचाखच भरे बिरसा मंडप में सातों मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

झामुमो कोटे से पांच विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, जगरनाथ महतो, जोबा मांझी और मिथिलेश ठाकुर शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले दो विधायकों में बन्ना गुप्ता तथा बादल पत्रलेख शामिल हैं।

हेमंत की टीम के मंत्रियों में जगरनाथ महतो, बादल पत्रलेख और मिथिलेश कुमार ठाकुर पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि अन्य को पहले भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल चुका है। हेमंत सोरेन कैबिनेट में जगह पाने वाली एकमात्र महिला जोबा मांझी हैं। जोबा भी पूर्व की कई सरकारों में भी मंत्री रह चुकी हैं।

सुरक्षित रखा गया मंत्री का एक पद : हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री का एक पद अभी सुरक्षित रखा गया है। झारखंड कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 पद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम तथा राजद के सत्यानंद भोक्ता 29 दिसंबर को ही शपथ ले चुके थे, जबकि सात ने मंगलवार को शपथ ली। इस तरह अब हेमंत मंत्रिमंडल में सीएम समेत कुल 11 मंत्री हैं। मंत्री का एक पद सुरक्षित रखे जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस मंत्री के एक और पद पर अड़ी हुई है। यह विवाद नहीं सुलझने के कारण ही एक जगह सुरक्षित रखी गई है। इसके पीछे एक सोच यह भी हो सकती है कि एक पद छोड़कर रखा जाए ताकि विपरीत परिस्थितियों के अनुसार उलटफेर में कोई परेशानी न हो।

रांची में मंगलवार को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के पहले गंगा जल से आचमन करते विधायक जगरनाथ महतो। साथ में विधायक बैजनाथ राम (सबसे बाएं), बादल पत्रलेख (बाएं से तीसरे) और प्रदीप यादव (सबसे दाएं)। जागरण

कांग्रेस के खाते में मंत्री के कुल चार पद

कांग्रेस के दो अन्य विधायकों के मंत्री पद पर शपथ लेने के बाद कांग्रेस के कोटे से मंत्रियों की कुल संख्या चार हो गई है। वहीं, झामुमो के खाते में मंत्रियों के पांच पद गए हैं। एक पद राजद को मिला है। स्पीकर का पद भी झामुमो के पास है।

उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी पढ़ेंगे सोशल मीडिया के सुरक्षित प्रयोग का पाठ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- स्कूलों व डिग्री कॉलेजों में समझाया जाएगा कैसे करें प्रयोग
- आइटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने जारी किए निर्देश

सोशल मीडिया पर बिना जाने समझे टिप्पणी करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। दरअसल, बीते दिनों सीएए को लेकर बिना जाने समझे सोशल मीडिया पर हुई आपत्तिजनक व सद्भाव बिगाड़ने वाली टिप्पणी के कारण माहौल बिगड़ा, जिसके कारण कई लोगों पर आइटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। ऐसे में नासमझी कितनी खतरनाक हो सकती है, यह उन्हें समझाया जाएगा। शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य विभाग भी जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को जागरूक करेंगे। इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आइटी) व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव (आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) आलोक सिन्हा की ओर से सभी विभागों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करें। इसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल व कॉलेजों में विद्यार्थियों को समझाया जाएगा कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते समय सबके सम्मान का ख्याल रखें। कोई जरूरी नहीं कि हर पोस्ट पर जवाब दें। ऐसा पोस्ट जो प्रमाणिक नहीं है और दुर्भावना पूर्ण हो, उससे दूर रहें। फर्जी खबरों से बचें। हमेशा सही व प्रमाणिक तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। ऐसे पोस्ट जो समाज में सद्भाव बिगाड़ने वाले हैं, अश्लील हैं और दूसरे की निजता को भंग करते हैं, उनसे दूर रहें। यही नहीं सोशल मीडिया पर अपने पासवर्ड को बनाते समय उसमें अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का प्रयोग करें। एडवोकेट प्रांशु अग्रवाल कहते हैं कि आइटी एक्ट की धारा 67 में पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार ऐसा कृत्य करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना व दस साल तक सजा हो सकती है।

न्यूज गैलरी

एनआरआइ कारोबारी थांपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली : रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार एनआरआइ कारोबारी सीसी थांपी का रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने थांपी को 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और जमानत अर्जी पर फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। ईडी का कहना था कि पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है। अभी कई दस्तावेज और लोगों से आरोपित का सामना करवाना है। इसलिए फिर से रिमांड पर भेजा जाए। वहीं, थांपी के वकीलों ने अदालत में कहा कि अगर ईडी को लगता है कि दस्तावेजों से छेड़छाड़ हो सकती है, तो यह गलत है। (जासं)

छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा सीबीएसई

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक फरवरी से हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगा। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर विशेषज्ञों के साथ अकादमिक और स्कूल संबंधी या व्यक्तिगत परेशानियों को साझा करने का मौका मिलेगा। वहीं, परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अगर विद्यार्थियों को किसी भी तरह का तनाव या शिकायत हो, तो वे काउंसलर से खुलकर बात कर सकते हैं। (जासं)

'विकास के मुद्दों पर राज्यों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार'

आश्वासन ▶ मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिलाया भरोसा

राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति बढ़ाने और बकाया भुगतान शीघ्र करने की मांग की

नईदुनिया, रायपुर

केंद्र सरकार से राज्यों को फंड मिलने में हो रही देर का मुद्दा मंगलवार को मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में उठा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति ही नहीं विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाला फंड भी समय पर नहीं आ रहा है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को भी बढ़ाने की मांग रखी। इस दौरान शाह ने कहा कि विकास के मुद्दों पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ खड़ी है। बैठक के बाद शाह भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से संवाद में कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को सीएए के विरोध का राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में मंगलवार को हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और परिषद के उपाध्यक्ष भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। कमलनाथ ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को 42 से बढ़ाकर 50 फीसद करने की मांग उठाई। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि समेत विभिन्न योजनाओं का करीब 2300 करोड़ रुपये अब तक नहीं मिलने का मसला उठाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को मध्य क्षेत्र की परिषद से अलग करने की भी मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यहां नक्सलवाद है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं सात राज्यों से लगती हैं। सीमावर्ती राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां और समस्याएं लगभग एक समान हैं।

नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर होंगी बैंकिंग सेवाएं

बैठक में अमित शाह ने सभी गांवों, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों के गांव में पांच किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत पड़ी तो जिन शहरों में ज्यादा बैंक हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने राज्यों से पॉक्सो एक्ट के तहत जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समयावधि का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने सीआरपीसी और आइपीसी में संशोधन के लिए राज्यों से सुझाव भी मांगे।

उत्तराखंड ने मांगी वित्तीय सहायता

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने राज्य में प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए चार धामों के विकास, कुंभ मेले और पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के लिए अधिक धन देने की मांग की। उन्होंने अपराधों से निपटने और अपराधियों से संबंधित जानकारी साझा करने में सीमावर्ती राज्य सरकारों का सहयोग मांगा। रावत ने खाद्यान्न की भंडारण क्षमता बढ़ाने, आइटी अधिनियम और एटीपीएस अधिनियम में संशोधन करने और ई-गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

- छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैठक में हुए शामिल

छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंगलवार को हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक के दौरान (बाएं से) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की। एएनआइ

योगी ने बताई राज्य की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 30 लाख घरों का निर्माण, 2.5 लाख शौचालय और सौभाग्य योजना के तहत 1.20 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। योगी ने आइटी अधिनियम, पुलिस आधुनिकीकरण, आदि में संशोधन की आवश्यकता बताई। यह भी बताया कि पाक्सो एक्ट के तहत 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं।

मध्य प्रदेश के सीएम ने मांगी किसानों के लिए सहायता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिक बारिश के कारण फसलों हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिक केंद्रीय सहायता की मांग की। उन्होंने लंबे समय बाद बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सुझाव दिया कि वनों से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सभी राज्य सरकारों की एक अलग बैठक आयोजित की जा सकती है।

देवघर में बनेगा संस्कृत विश्वविद्यालय, अधिनियम में हुआ संशोधन

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड के पहले संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना देवघर में होगी। इसका नाम बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय होगा। राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया।

राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने, संस्कृत पढ़ाने वाले कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए संस्कृत भाषा के पठन-पाठन के उद्देश्य के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के बाद संस्कृत के अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता अब इस विश्वविद्यालय के अधीन आ जाएंगे। पहले संस्कृत कॉलेजों की क्षेत्रीय अधिकारिता हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती थी।

राज्यपाल ने 18 अक्टूबर को अनुमति प्रदान की: इससे संबंधित संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल ने इस पर 18 अक्टूबर को अनुमति प्रदान की। विधि विभाग ने इसे संशोधन अधिनियम के रूप में 31 दिसंबर को अधिसूचित किया, जबकि इस वर्ष 22 जनवरी को इसे गजट में प्रकाशित किया गया। झारखंड विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के तहत इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरा झारखंड होगा।

एमपी पीएससी की भर्तियों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण पर रोक

नईदुनिया, जबलपुर

- मप्र हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश
- ओबीसी को 14 फीसद से अधिक लाभ न दिए जाने की शर्त लागू
- 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी प्रभावित

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी कर मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की भर्तियों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने पीएससी की भर्तियों में पूर्व निर्धारित 14 फीसद ओबीसी आरक्षण से अधिक लाभ न दिए जाने की शर्त लागू कर दी है। इससे एमपी पीएससी द्वारा की जा रही 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी।

याचिकाकर्ता आशिता दुबे सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, आदित्य संघी, जाह्न्वी पंडित व सुयश ठाकुर ने पक्ष रखा, जबकि राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा खड़े हुए। पीएससी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने रखा, जिन्होंने ओबीसी को 27 की जगह 14 फीसद ओबीसी आरक्षण दिए जाने के कोर्ट के रख के प्रति सहमति जताई।

नवंबर 2019 में जारी हुआ था विज्ञापन

एमपी पीएससी द्वारा नवंबर 2019 में एक विज्ञापन जारी किया गया। इसके जरिये द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद विज्ञापित किए गए। इसके बाद काफी संख्या में आवेदन भरे गए। नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत साक्षात्कार भी हो चुके हैं। अंतिम चयन सूची जारी होना शेष है। इसके बावजूद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के स्थान पर बार-बार समय लिया जा रहा था। कोर्ट ने विगत सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से आवश्यक रूप से जवाब पेश किए जाने के निर्देश दिए थे। साथ ही अगली सुनवाई 28 जनवरी को निर्धारित कर दी थी। इसके बावजूद राज्य की ओर से पूर्ववत जवाब नदारद ही रहा। लिहाजा, कोर्ट ने सख्त रख अपनाते हुए आदेश पारित कर दिया।

क्या है मामला

याचिकाकर्ताओं ने मप्र शासन द्वारा जारी आरक्षण संशोधन अधिनियम-2019 को चुनौती दी गई थी। इस संशोधन के जरिये ओबीसी के लिए पहले से निर्धारित 14 फीसद से बढ़ाकर 27 फीसद आरक्षण किया गया था। याचिका में दलील दी गई संशोधन के कारण प्रदेश में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से बढ़कर 63 हो गया है। इससे पीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए ओबीसी आरक्षण पूर्ववत लागू करने की व्यवस्था दी जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत के अनुरूप राज्य शासन द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से पूर्व नियमानुसार पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श नहीं किया गया। बिना किसी सर्वेक्षण या फील्ड स्टडी किए ओबीसी आरक्षण बढ़ा दिया गया।

सरसंघचालक से विंध्याचल में मिले सरयू राय

राज्य ब्यूरो, रांची : हालिया विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच घंटों राष्ट्रीय मसले पर चर्चा हुई।

सरयू राय ने भी इसकी पुष्टि की, लेकिन यह भी कहा कि इस मुलाकात का राजनीतिक मायने निकालने का कोई तुक नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा में वे वापस लौट सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी शून्य संभावनाएं हैं। सरयू राय ने स्वयं मंगलवार की देर शाम इस बाबत ट्वीट भी किया। उन्होंने जिक्र किया है कि विंध्याचल के ब्रह्मवेता देवराहा हंस बाबा के गोसेवा आश्रम में माननीय सरसंघचालक जी से भेंट हुई। स्नेहपूर्ण वार्ता से पुरानी यादें ताजा हो गईं, अच्छा लगा। बाबा ने सबको साथ लेकर भारत को श्रेष्ठ बनाने का आशीष दिया।

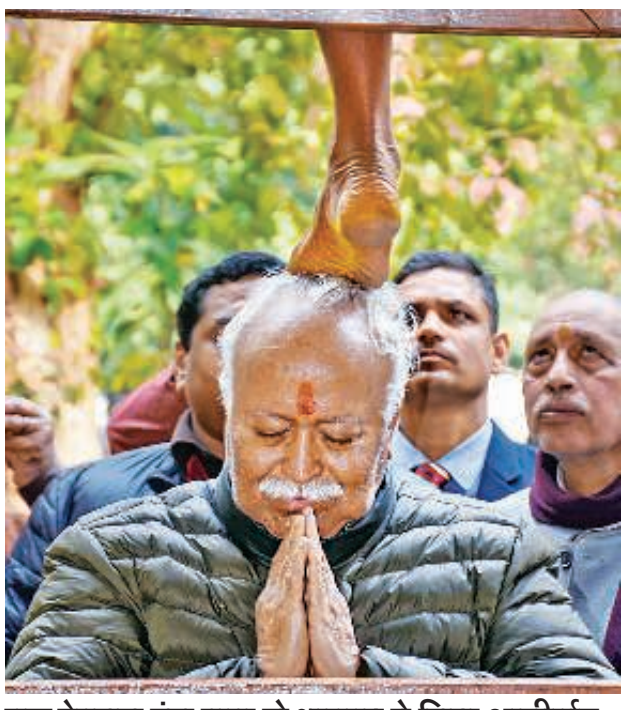

गुरु देवराहा हंस बाबा से भागवत ने लिया आशीर्वाद

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मीरजापुर स्थित विंध्याचल में ब्रह्मवेत्ता देवराहा हंस बाबा के आश्रम पहुंचे। इस दौरान गुरु देवराहा हंस बाबा से आशीर्वाद लेते भागवत। यहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेका और हनुमान मंदिर में भी पूजा-अर्चना की। बाद में वह वाराणसी के लिए रवाना हो गए। प्रेट्र

बंगाल में अब शिक्षक गृह जिले में पा सकेंगे तैनाती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नई पहल करते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती उनके गृह जिले में करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने तथा आने वाले चुनाव के लिए नया समीकरण साधते हुए यह एलान किया है। शिक्षकों को यह सौगात देकर मुख्यमंत्री ने एक बड़े वर्ग को साधने का उपक्रम किया है।

सरस्वती पूजा के ठीक एक दिन पूर्व मंगलवार को ममता बनर्जी ने ट्वीट के जरिये यह महत्वपूर्ण घोषणा की। ममता ने शिक्षकों को मुख्य अभिभावक बताते हुए समाज और राष्ट्र में उनके अप्रतिम योगदान की चर्चा की। तर्क दिया कि स्कूल के अलावा शिक्षक अपने परिवार को भी समय दे सकें, इसलिए गृह जिले में तैनाती का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद देश व राज्य के सामूहिक विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों की भागीदारी बढ़ेगी। शिक्षक और छात्र-छात्राओं के प्रति गर्व का भाव जाहिर करते हुए ममता ने कहा कि भविष्य के महान व्यक्तित्व के गठन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देश और समाज के विकास में भी उनका बड़ा योगदान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती पूजा का आदर्श समय होने की वजह से यह शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जताने का सही मौका है। इसलिए सरकार अब से राज्य के सभी शिक्षकों को उनके जिलों में स्थित विद्यालयों में तबादले का अवसर देगी।

शिक्षकों में खुशी की लहर : मुख्यमंत्री के इस कदम से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस घोषणा का शिक्षक संगठनों ने खुले दिल से स्वागत किया है। शिक्षकों का कहना है इस फैसले से उनका घंटों बर्बाद होने वाला समय बच जाएगा। घर से दूसरे जिलों में स्थित विद्यालयों में आने-जाने में ही उनका अधिकांश समय और ऊर्जा बर्बाद होती रही है। इससे मानसिक दबाव बना रहता है और परिवार को मिलने वाला समय यात्रा में बीत जाता है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

तल्खी

पंजाब के मुख्यमंत्री ने बुलाई लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की बैठक, प्रताप सिंह बाजवा ने बैठक से पहले फिर दिखाए तेवर

कैप्टन व बाजवा आज होंगे आमने-सामने

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

- बाजवा ने कहा, पंजाब में अल्पसंख्यकों के कॉलेज मामले में हो रही नाइंसाफी
- सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली सरकार की छवि खराब हो रही

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 जनवरी से शुरू होने वाले केंद्रीय बजट सत्र के मद्देनजर बुधवार को प्रदेश के लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की बैठक बुलाई है। बैठक में संसद में राज्य के मुद्दे उठाने को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद पहुंच रहे हैं। सबकी नजर राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो पर रहेगी, क्योंकि दोनों न सिर्फ पंजाब सरकार, बल्कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यों पर बेबाक टिप्पणी करते रहते हैं।

बाजवा ने बैठक से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरी तरफ पंजाब में ही अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेज मामले में नाइंसाफी हो रही है। इससे प्रदेश सरकार की छवि भी खराब हो रही है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल

प्रताप सिंह बाजवा फाइल

बाजवा यह सवाल भी उठाते हैं कि चुनाव से पहले पार्टी का दावा था कि शिअद-भाजपा सरकार ने थर्मल प्लांटों के साथ जो समझौते किए हैं या तो उनमें संशोधन किया जाएगा या उन्हें रद किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री मानसून सत्र में श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं। आखिर जो श्वेत पत्र दस दिनों में आ सकता है उसके लिए मानसून सत्र तक इंतजार करने का कोई तर्क नहीं बनता है। चुनाव में हमने जो वादे किए थे, या तो उनका आकलन हम नहीं कर पाए या हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। बाजवा के तेवर इस तरफ साफ संकेत कर रहे हैं कि बुधवार की बैठक निश्चित रूप से हंगामी हो सकती है।

राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दूलो ने कहा, 'मैं बैठक में जाऊंगा। अभी यह नहीं पता कि एजेंडा क्या है, लेकिन पार्टी की नीति के अनुसार ही अपने विचार रखूंगा।' इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भी होंगे।

झारखंड में स्कूल बंद रहने पर मिड डे मील के बदले मिलेगी राशि

राज्य ब्यूरो, रांची

- राज्य के सूखा प्रभावित 18 जिलों में मिलेगा इसका लाभ
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया आदेश

झारखंड के सूखा प्रभावित 18 जिलों में अवकाश के दिनों में सरकारी स्कूल बंद रहने पर मिड डे मील के बदले चावल व कुकिंग कॉस्ट की राशि छात्र-छात्राओं को मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत तीन फरवरी को स्कूलों में समारोह आयोजित कर बच्चों को यह राशि दी जाएगी। इसके तहत कक्षा एक से पांच के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम चावल तथा कुकिंग कास्ट के 4.48 रुपये के हिसाब से राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी। वहीं, कक्षा छह से आठ के बच्चों को प्रतिदिन 150 ग्राम चावल तथा कुकिंग कास्ट के रूप में 6.71 रुपये मिलेंगे।

दरअसल, केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में सूखाग्रस्त जिलों के लिए अवकाश की अवधि में कुल 25 दिनों का मिड डे मील उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति दी गई है। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रथम चरण में दुर्गा पूजा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा एंव चित्रगुप्त पूजा के अलावा रविवारीय अवकाश के अलावा दूसरे चरण में दस अन्य अवकाश के लिए मिड डे मील की राशि बच्चों को देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए न्यूनतम 50 फीसद उपस्थिति अनिवार्य किया गया है।

इन जिलों के बच्चों को लाभ

रांची, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा तथा देवघर।